निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख 1942 (श0)

(सं0 पटना 302) पटना, वृहस्पतिवार, 14 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 मई 2020

एस० ओ० **125** दिनांक 14 मई 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियमावली, 2020 है ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 5 मई**,** 2020, से प्रवृत्त माने जाएंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) में, 21 अप्रैल 2020 से, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु और कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, को 21 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के दौरान, धारा 39 के तहत प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी को इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से सत्यापित करने की भी अनुमति है। " ।

3. उक्त नियमावली के नियम 67 के पश्चात, इसे बाद में अधिसूचित किये जाने की तारीख से, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रबंध -** इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिससे धारा 39 के अंतर्गत **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त रिटर्न का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी का मतलब धारा 39 के अधीन किसी कर अवधि से संबंधित कोई ऐसी विवरणी है जिसमें **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रविष्टि ना हो ।" ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)-819)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

14 मई 2020

एस० ओ० 125 दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–9)–819)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 14th May 2020

S.O. 125 Dated 14th May 2020--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 5th day of May, 2020.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 21st April, 2020, in rule 26 in sub-rule (1), after the proviso, following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall, during the period from the 21st day of April, 2020 to the 30th day of June, 2020, also be allowed to furnish the return under section 39 in **FORM GSTR-3B** verified through electronic verification code (EVC).".

3. In the said rules, after rule 67, with effect from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely: -

"**67A. Manner of furnishing of return by short messaging service facility**.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in **FORM GSTR-3B** for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return through a short messaging service using the registered mobile number and the said return shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation. - For the purpose of this rule, a Nil return shall mean a return under section 39 for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in **FORM GSTR-3B**.".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)-819)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 302–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in